

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

नाथु पिता रामा बलाई नि. ईटुंदा
बनाम

मोती पिता लक्ष्मण मीणा नि. ईटुंदा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए.

मुकदमा नं. 694/23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुये
21.06.23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम ईटुंदा प. ह. ईटुंदा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 482 रकबा 0.2104 हेक्टेयर, आ. न. 492 रकबा 0.3076 हेक्टेयर, आ. न. 702/16 रकबा 0.0971 हेक्टेयर, आ. न. 702/5 रकबा 0.2347 हेक्टेयर कुल कित्ता 04 रकबा 0.8498 स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 20756 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम ईटुंदा प. ह. ईटुंदा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 482 रकबा 0.2104 हेक्टेयर, आ. न. 492 रकबा 0.3076 हेक्टेयर, आ. न. 702/16 रकबा 0.0971 हेक्टेयर, आ. न. 702/5 रकबा 0.2347 हेक्टेयर कुल कित्ता 04 रकबा 0.8498 स्थित भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक लुहारी कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)

राजस्थान सरकार
कायदा उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला-भीलवाडा
शहर/2023/694/2023 दिनांक 21/06/23

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 694/2023 अनवान नाथु पिता रामा बलाई नि. ईटुंदा बनाम मोती पिता लक्ष्मण मीणा नि. ईटुंदा, रामकुंवार पिता लक्ष्मण मीणा नि. ईटुंदा, हरनाथ पिता लक्ष्मण मीणा नि. ईटुंदा, दुर्गा पिता भूरा बलाई नि. ईटुंदा, फोरु पिता भूरा बलाई नि. ईटुंदा, तहसीलदार वगैरा की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम ईटुंदा प. ह. ईटुंदा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 482 रकबा 0.2104 हेक्टेयर, आ. न. 492 रकबा 0.3076 हेक्टेयर, आ. न. 702/16 रकबा 0.0971 हेक्टेयर, आ. न. 702/5 रकबा 0.2347 हेक्टेयर कुल कित्ता 04 रकबा 0.8498 स्थित भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक लुहारी कलां को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)